संख्या-83/2021/1721/26-3-2021-1(13)/2020

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 जून 2021

विषयः- **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष 3,88,252 पेंशनरों को पेंशन प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-34/स0क0/वृ0पे0यो0/2021-22, दिनांक-20.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष 3,88,252 पेंशनरों को पेंशन प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष 3,88,252 पेंशनरों को पेंशन प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रू0-75,32,54,500/- (रू0-पचहत्तर करोड़ बत्तीस लाख चौव्वन हजार पांच सौ मात्र) व्यय किये जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-83/2021/1721 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in